न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा
पीठासीन अधिकारी : देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

प्र.सं. 4/2025 प्रार्थना पत्र स्थानांतरण

1. केसरा पुत्र बुद्धा
2. छोटूराम पुत्र सुन्दर
3. तनीष नाबालिग पुत्र कैलाश संरक्षिका माता भागोती देवी
4. नहनूराम पुत्र नारायण
5. पूरण पुत्र कानाराम
6. प्रभात पुत्र सुन्दर
7. बद्रीलाल पुत्र सुन्दर
8. भगवानसहाय पुत्र बुद्धा
9. भागीरथ पुत्र बुद्धा
10. भगोती देवी पत्नी कैलाशचंद
11. मंगली पत्नि नारायण – फौत
12. रामविलास पुत्र मूल्या– फौत
    1. ग्यारसी पत्नि रामविलास 2
    2. युवराज पुत्र रामविलास 3.
    3. अनील पुत्र रामविलास
13. रामकिशन पुत्र स्वर्गीय मूल्या
14. रामकिशोर पुत्र स्वर्गीय मूल्या
15. रूकमणी पुत्री स्वर्गीय मूल्या
16. रमेश पुत्र जगन्नाथ
17. रामकरण पुत्र बुद्धा
18. तीजा पुत्री स्वर्गीय रामफूल
19. काली पुत्री स्वर्गीय रामफूल
20. प्रेम पुत्री स्वर्गीय रामफूल
21. ममता पुत्री स्वर्गीय रामफूल
22. मनीषा पुत्री स्वर्गीय रामफूल
23. छोटी बाई पुत्री स्वर्गीय रामफूल
24. लक्ष्मीबाई नाबालिग पुत्री कैलाश संरक्षिका माता भागोती देवी
25. शम्भूदयाल पुत्र जगन्नाथ
26. श्योराम पुत्र बुद्धा
27. सांवलराम पुत्र बुद्धा
28. सीताराम पुत्र नारायण

समस्त जाति मीना निवासी मांडेडा सुनारपुरा तहसील लवाण जिला दौसा

...प्रार्थीगण

बनाम

1. गिर्राजप्रसाद पुत्र महादेव
2. जगदीश पुत्र गंगल्या उर्फ गंगाराम
3. जगदीश पुत्र नन्दा
4. जिन्सी पुत्र रामला
5. दीनदयाल पुत्र नन्दा
6. नारायण महादेव के पुत्र

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:01:50 IST
Reason: SelfAttested

Dw
जिला कलक्टर, दौसा

7. नाराणा पुत्रा गगल्या उफ गगाराम
8. प्रभू पुत्र नन्दा
9. प्रभातीलाल पुत्र महादेव
10. मंगला पुत्र नन्दा
11. रामकरण पुत्र महादेव
12. रामखिलाडी पुत्र गंगल्या उर्फ गंगाराम
13. रामफूल पुत्र मान्या
14. लाछमा पुत्री गंगल्या उर्फ गंगाराम
15. लालू पुत्र गंगल्या उर्फ गंगाराम
16. लालू पुत्र गंगाराम दत्तक पुत्र प्रताप
17. सीताराम पुत्र महादेव

समस्त जाति मीना निवासी मांडेडा सुनारपुरा तहसील लवाण जिला दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

18. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील लवाण जिला दौसा
19. उप पंजीयक लवाण जिला दौसा
20. बैंक ऑफ बडौदा शाखा वनियाना
21. सिंडीकेन्ट बैंक शाखा लवाण
22. बैंक ऑफ इंडिया शाखा बांसखोह
23. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड शाखा लवाण
24. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा तूंगा
25. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा लवाण
26. श्री रविकांत सिंह वर्तमान पीठासीन अधिकारी उपजिला कलेक्टर लवाण

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण उनवानी प्रकरण केसरा आदि बनाम गिर्राज प्रसाद आदि वाद अधिघोषणा स्थाई निषेधाज्ञा व दुरूस्ती इंद्राज वाद संख्या 11/23 व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा नं0 मुकदमा 11/23 तारीख पेशी 27.01.2025 जो उपजिला कलेक्टर लवाण की न्यायालय मे विचाराधी है को निष्पक्ष सुनवायी हेतु अन्य सक्षम न्यायालय मे स्थानान्तिरित करने बाबत

उपस्थित : 1. श्री प्रकाश मीना, अधिवक्ता प्रार्थीगण (अनुपस्थित)
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

—:: निर्णय ::— दिनांक: 30.7.2025

1. संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय उप जिला कलक्टर लवाण में विचाराधीन मुकदमा उनवानी केसरा आदि बनाम गिर्राज आदि दावा बाबत वाद अधिघोषणा स्थाई निषेधाज्ञा व दुरूस्ती इंद्राज वाद संख्या 11/23 व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा नं0 मुकदमा 11/23 को किसी भी दीगर उप जिला कलक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु स्थानांतरित करने हेतु प्रार्थना पत्र स्थानांतरण पेश किया गया है।
2. स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। उप जिला कलक्टर लवाण से बिन्दुवार टिप्पणी मंगवाई गई।

3. अधिवक्ता प्रार्थीगण के अनुपस्थित रहने से स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को बहस मानकर सुनवाई की गई। मुतबिक स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के अनुसार प्रार्थीगण ने उपजिला कलेक्टर लवाण के न्यायालय में एक वाद उनवानी केसरा आदि बनाम गिर्राज आदि व एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर रखा है जिसमे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण मे अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर रखी है जो आज दिन तक प्रभावशील है तथा उक्त प्रकरण मे रामविलास पुत्र मूल्या वादी का स्व० हो चुका है उसके कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र लिये बगेर ही अप्रार्थी संख्यां 1 लगायत 17 से साज करके पीठासीन अधिकारी अंतरित टी. आई खारिज करने पर तुले हुए है। तथा वाद का भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:01:50 IST
Reason: SelfAttested

निस्तारण करने पर भी तुले हुए है। प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 17 को पीठासीन अधिकारी उपजिला कलेक्टर लवाण के आवास के चैम्बर मे मिलते झूलते देखा है व बात चीत करते देखा है तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगा0 17 गांव मे यह ऐलानिया कहते फिरते हैं कि हमारी पीठासीन अधिकारी से बात चीत हो गयी है तथा प्रकरण का निर्णय हमारे पक्ष मे होगा तथा जो अंतरिम टी.आई जारी की है उसका फैसला भी हमारे पक्ष मे होगा तथा आगामी तारीख पर प्रकरण का निस्तारण हमारे पक्ष मे हो जावेंगा। इससे प्रार्थीगण को यह पूर्ण विश्वास हो गया कि पीठासीन अधिकारी व अप्रार्थी संख्या 1 लगा0 17 के मध्य बात चीत हो गयी है व साज हो गया है। इसलिए प्रार्थीगण को पीठासीन अधिकारी उप जिला लवाण से न्याय की कोई उम्मीद नही है। इसलिए उपरोक्त उनवानी प्रकरण को से शीघ्र उपजिला कलेक्टर लवाण की न्यायालय स्थानान्तरण किया जाकर अन्य सक्षम न्यायालय में निष्पक्ष सुनवाई हेतु स्थानान्तरण कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उनवानी प्रकरण केसरा आदि बनाम गिर्राज आदि दावा संख्या 11/23 व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 11/23. जिसमे आगामी तारीख पेशी 27.01.2025 नियत है को उपजिला कलेक्टर लवाण की न्यायालय से स्थानान्तरित कि जाकर अन्य सक्षम न्यायालय मे निष्पक्ष सुनवाई हेतु स्थानान्तरित फरमाया जावे।

4. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण ने गलत आधारों पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। पीठासीन अधिकारी द्वारा वाद में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

5. उप जिला कलक्टर लवाण के रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार वाद में नियमोचित कार्यवाही की जा रही है। समस्त पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जा रहा है। फिर भी विचाराधीन वाद को किसी सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है।

6. हमने राजकीय अधिवक्ता की एकतरफा बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थीगण का कथन है कि पीठासीन अधिकारी अंतरिम टीआई खारिज करने एवं वाद का निस्तारण करने हेतु तुले हुए है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी को पीठासीन अधिकारी के चैंबर में मिलते जुलते देखा है एवं अप्रार्थी ने गांव में ऐलानिया कहते है कि हमारी पीठासीन अधिकारी से बातचीत हो गई है। अतः उन्हें पीठासीन अधिकारी उप जिला कलक्टर लवाण से न्याय की उम्मीद नहीं है। हमने पीठासीन अधिकारी उपखंड अधिकारी लवाण की आदेशिका का अवलोकन किया गया, जिसमे हम देखते है कि न्यायालय उप जिला कलक्टर लवाण द्वारा उभयपक्षकारान को दिनांक 26.7.2024, 2.8.2024, 16.5.2024, 28.8.2024, 5.9.2024, 6.9.2024, 11.9.2024, 13.12.2024, 18.12.2024, 23.12.2024, 15.1.2025 को बहस के लिए समय दिया गया। जिससे यह सिद्ध है कि उप जिला कलक्टर लवाण द्वारा न्यायिक सिद्धान्त की पूर्ण पालना करते हुए उभयपक्षकारान को समय दिया जा रहा है। जहाँ तक प्रार्थीगण का यह तर्क है कि अप्रार्थीगण द्वारा यह ऐलानिया कहा जा रहा है कि निर्णय उनके पक्ष में होगा तो इस संबंध में किसी प्रकार का कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति [illegible] प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:01:50 IST
Reason: SelfAttested

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय आज दिनांकः 30 जुलाई, 2025 को लिखबाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:01:50 IST
Reason: SelfAttested